

Form No.III

फर्द अहकाम

नियम 20

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मांगरोल

मुरलीधर बनाम राज. सरकार

'प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

प्रकरण संख्या 14/2018

दायरा तिथि: 20.10.2020

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही गय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
18.08.25	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा रकवा कमी पूर्ति के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। धारा 136 एल.आर.एक्ट में केवल लिपिकीय अशुद्धियां सही की जा सकती है, किसी भी प्रकार के अधिकारों का सृजन नहीं किया जा सकता है। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय RRT 2015 Page .10 तथा माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान के निर्णय RRT 2022 (2) Page 1864 में थी यही सिद्धांत प्रतिपादित किया कि LR Act की धारा 136 में किसी भी प्रकार के अधिकारों का सृजन नहीं किया जा सकता है।</p> <p>इसलिये हस्तगत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है और प्रार्थी को सलाह दी जाती है कि वह नियमित वाद में आवे। सुविधा की दृष्टि से प्रार्थी नियमित वाद में इस पत्रावली को नत्थी करवा सकेगा।</p> <p>निर्णय सरे इजलास पढकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p>	